राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.11 से 31.3.15

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकनोपरान्त नवीनतम स्थिति इस प्रकार पाई गईः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2006

1	पैरा–6	निर्णीत	(प्रवेश शुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क से सम्बन्धित आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर से प्राप्त चालान संख्या 25 दिनांक 15.12.2001 की छायाप्रति प्राप्त कर ली गई है)
2	पैरा–9	अनिर्णीत	
3	पैरा–13 (1) (i)	अनिर्णीत	
4	पैरा–13 (1) (ii)	निर्णीत	(संयोजक के प्रमाण पत्र की पुष्टि कर ली गई)
5	पैरा–13 (1) (iii)	निर्णीत	(दवाई वितरण से सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई)
6	पैरा–13 (1) (iv)	अनिर्णीत	
7	पैरा–13 (2) (i) से (iv)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2011

1	पैरा–2	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पृष्ठ 68 NR)
2	पैरा–3	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति)
3	पैरा–5	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
4	पैरा–6	निर्णीत	(एल0आई0सी0 रोकड़ बही अलग से तैयार कर ली गई है)

5	पैरा–7	निर्णीत	(₹100 छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही पृष्ठ 53 पर करवाने बारे पुष्टि कर ली गई है)
6	पैरा–8	अंशतः निर्णीत	((i) ₹19683 छात्र कल्याण निधि में रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 16 पर वापिस जमा करवाने बारे पुष्टि कर ली गई है) (ii) ₹18601 निधि में जमा करवाने वाँछित है
7	पैरा–9	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ोह इस संस्थान के अधीनस्थ होने के कारण उक्त संस्था के शिलान्यास पर व्यय किया गया था)
8	पैरा–10 (i) (ii) (iii)	निर्णीत	(छात्रों से रसीद प्राप्त कर ली गई है तथा भुगतान सम्बन्धित अध्यापक से सत्यापित करवाने के उपरान्त ही किया गया। वर्तमान में छात्रों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे है)
9	पैरा–11	निर्णीत	(प्रधानाचार्य के सटिप्पण उत्तर के अनुसार जनजातीय छात्रों के प्रशिक्षण हेतु यह राशि आई0टी0आई0 नादौन की बजाए गलती से आई0टी0आई0 नैहरनपुखर को भेज दी गई थी। क्योंकि उक्त योजना के अन्तर्गत आई0टी0आई0 नादौन में प्रशिक्षण देने का प्रावधान था इसलिए यह राशि नादौन को भेज दी गई।)
10	पैरा–12	निर्णीत	(फर्म से बिल संख्या 000661 दिनांक 12.12. 2006 प्राप्त कर लिया गया है)
11	पैरा–13	निर्णीत	(दिनांक 13.10.06 को तकनीकी शिक्षा बोर्ड से उत्तर पुस्तिकाओं तथा बोर्ड से पत्र व्यवहार करने के लिए ₹1063 प्राप्त हुए थे

			जिन्हें छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया था तथा इस राशि को मास 1/2007 में तथा इस राशि को मास 1/07 में आहरित किया गया है।)
12	पैरा–14 (i) (ii) (iii) (iv)	अनिर्णीत	
13	पैरा–15	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
14	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत	
15	पैरा–16 (ii)	निर्णीत	(₹3680 तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त करने बारे प्रविष्टि की पुष्टि छात्र कल्याण निधि रोकड़ बही पृष्ठ 44 पर कर ली गई है)
16	पैरा–17	अनिर्णीत	
17	पैरा–18	अनिर्णीत	
18	पैरा–19	अनिर्णीत	
19	पैरा–20	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर के वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 15.7.2015 से 27.7.2015 तक नैहरपुखर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आयः– 8/2011, 8/2012, 2/2014, 2/2015

व्ययः– 9/2011, 8/2012, 2/2014, 2/2015

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा का किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जाँच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में संस्थान में कार्यरत्त रहे हैः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री मोहिन्दर सिंह	1.4.11 से 20.3.12
2	श्री कुलदीप सिंह	22.3.12 से 4.10.12
3	श्री गोवर्धन धारी शर्मा	6.10.12 से 28.4.13
4	श्री कुलदीप सिंह	28.4.13 से 31.3.15

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्थान के वर्तमान निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹10000/– आँका गया है जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0सी0सी0बी0 लिमिटेड नैहरनपुखर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 691566 दिनाँक 27.7.2015 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर की अवधि 1.4.11 से 31.3.15 तक की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

निधियों में अन्तर तथा कारणः–

छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही तथा बैंक जमा में ₹300 का अन्तर था जिसका कारण चैक संख्या 165494 दिनाँक 21.1.15 ₹300/– की राशि के भुगतान हेतु जारी किया गया जिसको 31.3.2015 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5 सावधि जमाओं पर ₹32679/– ब्याज की राशि कम प्राप्त करनाः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर द्वारा छात्रों से प्राप्त निधियों की राशि को पंजाब नैशनल बैंक देहरा शाखा में सावधि जमाओं में निवेशित किया जा रहा है परन्तु बैंक द्वारा विभिन्न सावधि जमाओं पर परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज पर आयकर की कटौती करने के उपरान्त पुर्ननिवेशित किया गया है जो कि नियमानुसार अनुचित है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि प्रशिक्षण संस्थान को आयकर विभाग से कर की छूट भी मिली है।

अतः अनियमित रूप से काटे गये आयकर ₹32679/– बारे मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

6 ₹12000/– अग्रिम राशि का समायोजन न करनाः–

छात्र कल्याण निधि से श्री रामपाल को खेल कूद हेतु दिनाँक 23.3.2013 को ₹12000/– अग्रिम राशि जारी की गई जिसका समायोजन नहीं किया गया। इस बारे मामला प्रधानाचार्य के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 120/2015 दिनाँक 24.7.2015 द्वारा लाया गया। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र क्रमाँक आई0टी0आई0/नै0पुखर/छात्र कल्याण निधि/ऑडिट/2015–1964 दिनाँक 27.7.2015 के द्वारा सूचित किया है कि राज्य स्तरीय आई0टी0आई0 महिला वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता 2013 हेतु जिला कांगड़ा का कोचिंग कैंप एवं संस्थान की तीन छात्राओं के खर्च हेतु आई0टी0आई0 शाहपुर में जमा करवाने हेतु श्री रामपाल अनुदेशक बैल्डर ने ₹12000/– लिए थे जिसकी रसीदें इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः ₹12000/– का समायोजन शीघ्र किया जाए अन्यथा ₹12000/– की राशि पैनल ब्याज सहित उक्त अनुदेशक से वसूल करके छात्र कल्याण निधि में जमा करवाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करें।

7 छात्रावास के बिजली के बिलों के भुगतान हेतु ₹52806/– की राशि का अनियमित रूप से आहरण करनाः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की विवरण पुस्तिकाओं (Prospectus) वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 में दिए गए नियम 4.1 के नीचे दिए गए नोट (ङ) के अनुसार "यदि उपर लिखित उप खण्ड 4 (ङ) (iii) के अन्तर्गत बिजली और पानी का वास्तविक उपयोग व्यय विद्यार्थियों द्वारा (केवल छात्रावास निवासियों) दी गई राशि से अधिक हुआ तो उनको इसका अन्तर भी चुकाना होगा। जाँच में पाया गया कि "Water & Electricity" निधि से छात्रावास के बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए 4/2011 से 3/2015 तक मीटर संख्या HT-1 हेतु ₹52806/– की राशि नियमों के विपरीत आहरित किया गया जिस बारे मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 121/2015 दिनाँक 24.7.2015 के माध्यम से संस्थान के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाया गया है। अतः नियमों के विपरीत अधिक आहरित की गई राशि ₹52806/– की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

वर्ष	बिजली बिलों की भुगतान राशि	होस्टल के छात्र सं0	वसूली प्रति छात्र	कुल वसूली	अधिक भुगतान
2011–12	18184	16	500	8000	10184
2012–13	17155	14	500	7000	10158
2013–14	24828	14	500	7000	17828
2014–15	22136	15	500	7500	14636
				योग	₹52806

8 छात्र कल्याण निधि से ₹17408/– की राशि जोकि बिजली बिलों के भुगतान हेतु आहरित की गई है वापिस जमा न करवानाः–

अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2015 तक "छात्र कल्याण" निधि से बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए ₹60419/– आहरित किए गए परन्तु तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या EDN (TE) A/(3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के नियम 3 (निधि का परिचालन तथा उपयोग) में बिजली के बिलों के भुगतान का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना के अनुसार ही प्रतिछात्र ₹500/– प्रतिवर्ष बिजली तथा पानी की खपत के रूप में भी वसूले जा रहे है। परन्तु इस राशि को व्यय करने बारे अधिसूचना के नियम 3 (1) से (30) तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए है। इस बारे मामला निदेशालय के उच्चाधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है। भुगतान की गई राशि ₹60419/– में से ₹43011/– वापिस छात्र निधि में जमा करवा दिए गए हैं तथा ₹17408/– अभी शेष जमा करवाने बाकी है। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 118/2015 दिनाँक 24.7.2015 के माध्यम से प्रधानाचार्य के ध्यान में ला दिया गया है। अतः अधिसूचना के नियम 3 (31) के अनुसार व्यय को निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग से या तो अनुमोदन प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

9 छात्र कल्याण निधि से ₹61576/– श्री ज्ञान चन्द को अनियमित रूप से मानदेय का भुगतान करनाः–

श्री ज्ञान चन्द को अवधि 1.10.2008 से 31.3.15 तक "छात्र कल्याण निधि से ₹351576/– मानदेय (Honorarium) का भुगतान किया गया। इस राशि में से ₹290000/– वापिस "छात्र कल्याण निधि" में जमा करवा दिए गए है परन्तु ₹61576/– जमा करवाए जाने अभी शेष है। इस बारे मामला संस्थान के प्रधानाचार्य के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 119/2015 दिनाँक 24.7.2015 के द्वारा ला दिया गया है। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र संख्या आई0टी0आई0/नै0पुखर/छात्र कल्याण निधि/ऑडिट/2015–1965 दिनाँक 27.7.2015 के द्वारा सूचित किया है कि शीघ्र ही इस राशि की भरपाई सम्बन्धित निधि में करवाई जा रही है। अतः राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके "छात्र कल्याण निधि" में जमा करवाई जाए।

10 अग्रिम रजिस्टर तैयार न करनाः–

जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 तक निधियों से विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम दिए गए है लेकिन अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः उक्त अवधि का अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व तुरन्त प्रभाव से अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 तक का अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाए व सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

11 भौतिक सत्यापन बारेः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर में अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 के दौरान छात्र कल्याण निधियो ंसे खरीदे गए स्थाई व अस्थाई सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने के उपरान्त छात्र निधियों के स्टोर व स्टॉक में पड़े शेष सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान भौतिक सत्यापन न करवाने के कारण स्पष्ट किए जाएं व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्थानीय क्रय समिति का गठन न करनाः–

(i) वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 (1) में प्रावधान है कि बिना निविदाएं बुलाए ₹3000/– की मदो ंका क्रय किया जा सकता है जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम

सीमा ₹50000/– होगी परन्तु जाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा बिना निविदाएं बुलाए ₹3000/– तक की मदों का क्रय तो किया जा रहा है परन्तु नियम 97 (2) में वर्णित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष के दौरान बिना निविदाएं बुलाए कुल कितना क्रय किया गया है। अतः वाँछित अभिलेख अब तैयार किया जाए तथा भविष्य में भी इसकी अनुपालना करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार भी विभागाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति (Local Purchaese Committee) का गठन करके क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार के क्रय में समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत में प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाता है परन्तु जाँच में पाया गया कि संस्था में उक्त नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही क्रय समिति से वाँछित प्रमाण पत्र लिए जा रहे है। अतः इस प्रकार के समस्त क्रय बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी (15) (xi) (ii) 416/88 खण्ड–3–7008–7010 दिनांक03.12.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, हि0प्र0 सरकार शिमला–171002
2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0
पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैहरनपुखर, जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेश) के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.